भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3005
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए हवाई अड्डों का निर्माण

3005. श्री सनातन पांडेय:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का देश में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों के उन्नयन/आधुनिकीकरण का विचार है और यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर हवाई अड्डा/वर्ष-वार क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) काजी नजरूल इस्लाम हवाई अड्डा, अण्डाल, दुर्गापुर के विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और उस पर कुल कितना व्यय हुआ है;
(घ) क्या सरकार का मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौजूदा हवाई अड्डों पर दबाव कम करने के लिए नए वैकल्पिक हवाई अड्डे विकसित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का हवाई किराए पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए कोई नीति लागू करने का विचार है क्योंकि कभी-कभी किराए बहुत अधिक हो जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार देशभर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है, जिनमें ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में परंदूर, राजस्थान में कोटा, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुरगि, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दागदर्थी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल हैं।

इनमें से 12 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों नामत: दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट (हीरासर) में परिचालन शुरू हो गया है।

(ख): इसके अलावा, हवाईअड्डों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मोपा, नवी मुंबई, नोएडा (जेवर), भोगापुरम, अयोध्या, कुशीनगर, सिंधुदुर्ग, ईटानगर, धोलेरा, देहरादून, अगरतला, पटना, विजयवाड़ा, देवघर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपति, मैंगलोर, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, कोल्हापुर, जबलपुर, ग्वालियर, राजकोट, लेह, हुबली, इम्फाल, जोधपुर, उदयपुर, राजमुंदरी, बेलगावी, शिवमोग्गा, विजयपुरा, हसन, प्रयागराज, तूतीकोरिन और पटना आदि सहित देशभर के कई हवाईअड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा हवाईअड्डा परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग): भारत सरकार ने बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीएपीएल) को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 670 करोड़ रुपये की लागत से एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने की मंज़ूरी दी थी। हवाईअड्डा मई 2015 में प्रचालनशील हो गया था। दुर्गापुर हवाईअड्डे पर अवसंरचना/सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जिसे बीएपीएल द्वारा किया जाता है।

(घ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नोएडा (जेवर) और मुंबई क्षेत्र में नवी मुंबई को इन क्षेत्रों में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के लिए मंजूरी प्रदान की है।

(ङ): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही सरकार द्वारा विमान किराए को मंजूरी देने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को प्रचालन लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और सामान्य प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना अपेक्षित है। एयरलाइन कंपनियां उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित विमान किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी यूनिट (टीएमयू) स्थापित की है जो एयरलाइनों की वेबसाइटों के आंकड़ों का उपयोग करके मासिक आधार पर चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों में हवाई किरायों की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें।

(च): सरकार ने विभिन्न हवाईअड्डों पर सुविधाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों का विकास/पुनरुद्धार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से मौजूदा और नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

******